संख्या- 59 /2018/934/24-1-18-3451/2009

प्रेषक:

इन्द्रराज सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 24 अप्रैल, 2018

विषय:-वित्तीय वर्ष 2018-19 में पनकी 1×660 मेगावाट विस्तार तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्वुत उत्पादन निगम लि0 के पत्र संख्या-117/उ0नि0लि0/ दिनांक 05.04.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य विद्वुत उत्पादन निगम लि0 को वित्तीय वर्ष 2017-18 में पनकी 1×660 मेगावाट विस्तार तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु प्राविधानिकधनराशि रूपये 250,00,00,000/- (रूपये दो सौ पचास करोड मात्र) में से रूपये 35,00,00,000/- (रूपये पैंतीस करोड़ मात्र) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष अनुमति प्रदान करते है:-

(1) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण चयनित विकासकर्ता फर्म को कार्यादेश निर्गत कर दिये जाने के उपरांत फर्म द्वारा मोबिलाइजेशन अग्रिम की मांग किये जाने पर तथा वास्तविक आवश्यकता होने पर किया जायेगा तथा आवश्यकता के दृष्टिगत तिथि की सूचना तत्काल ऊर्जा अनुभाग-1 को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि आहरित कर अनावश्यक रूप से बैंक में नहीं रखी जायेगी तथा इकाई की स्थापना से पूर्व सभी क्लियेरेन्स नियमानुसार प्राप्त कर लिया जाय।

(2) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी जिस परियोजना की स्थापना हेतु स्वीकृत की जा रही है।

(3) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद और ऊर्जा/वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

2- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्वुत उत्पादन निगम लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक ''4801-बिजली परियोजना पर परिव्यय-02-ताप विद्वुत शक्ति उत्पादन-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-14- उ0प्र0 राज्य विद्वुत उत्पादन

http://shasanadesh.up.nic.in

निगम लि0 -1422-1×660 मेगावाट पनकी तापीय विस्तार परियोजना हेतु अंशपूँजी-30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-यू0ओ0- 85 /दस-2018, दिनांक 23 अप्रैल, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या- 59 /2018/934(1)/24-1-18, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/ गार्ड बुक।

आज्ञा से,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in